गुडटच–बैडटच जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक 3 मार्च 2020 के आयोजन का रिपोर्ट प्रपत्र

1. विद्यालय का नाम एवं पता .....

.....

2. सम्बंलनकर्ता का नाम मय पद .....

3. संस्था प्रधान का नाम .....

   मोबाईल नम्बर .....

4. कार्यक्रम मे उपस्थिति की संख्या बालक .....

   बालिकाओं .....

5. कार्यक्रम मे जन–भागीदारी पुरूष .....

   महिला .....

6. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. विशेष विवरण .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

सम्बलनकर्ता हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम मय पद

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान मय मोहर

Scanned by CamScanner

श्रीमती ममता भूपेश
राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान सरकार

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

"कोई बच्चे को गलत तरीके से हाथ लगाता है, तो यह लैंगिक अपराध कहलाता है"

18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का लैंगिक दुर्व्यवहार करना कानूनी रूप से जुर्म है। इसकी रोकथाम हेतु "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" लागू किया गया है।

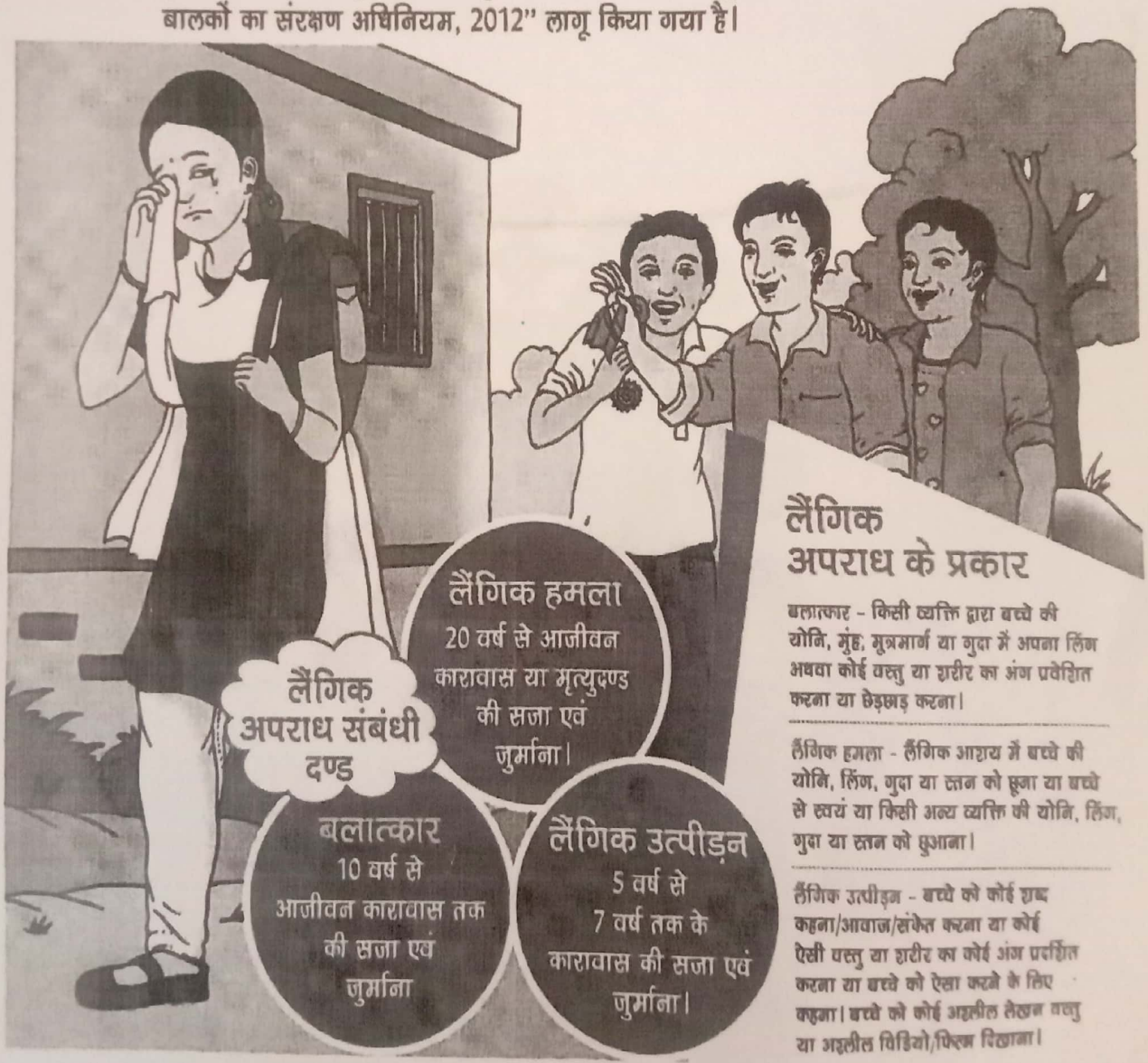

लैंगिक अपराध के प्रकार

बलात्कार - किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग अथवा कोई वस्तु या शरीर का अंग प्रवेशित करना या छेड़छाड़ करना।

लैंगिक हमला - लैंगिक आशय से बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूना या बच्चे से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छुआना।

लैंगिक उत्पीड़न - बच्चे को कोई शब्द कहना/आवाज/संकेत करना या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का कोई अंग प्रदर्शित करना या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहना। बच्चे को कोई अश्लील लेखन वस्तु या अश्लील विडियो/फिल्म दिखाना।

शिकायत करने हेतु संपर्क करें

पुलिस थाना	विशेष किशोर पुलिस इकाई	बाल कल्याण समिति	चाइल्ड लाइन
100			1098

निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार

Scanned by CamScanner

सुरक्षित बचपन

एक मुहिम बालको के अधिकारो के संरक्षण की ओर...

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,चूरू

Scanned by CamScanner

सुरक्षित बचपन

बचपन

एक सुनहरा बचपन का जमाना था, जिस में खुशियों का अपार खजाना था.....
चाहत भी चॉद को पाने की थी , पर दिल तो बस तितलीयों का दिवाना था...
ना खबर थी कुछ सुबह की , ना शाम का ठिकाना था ....
थक कर चाहे स्कूल से आना , पर खेलने दोस्तो संग जाना था....
दादी नानी की कहानी थी , चंदा मामा का फसाना था.....
बारीश में कागज की कस्ती थी , हर मौसम सुहाना था....

बचपन में ही बच्चो के सर्वागीण विकास की नीव रखी जाती हैं कोई भी देश एक सशक्त , विकसीत प्रगतिशील राष्ट्र तभी बन सकता हैं जब उस देश के बच्चो की स्थिति अच्छी हो जो देश के भावी कर्णधार होते हैं व बडे होकर देश के बहुमुखी विकास निर्माण व उन्नयन में भागीदार बनते हैं । बच्चे समाज एवं राष्ट्र की सम्पति है बच्चो के सर्वागीण विकास से उनके परिवार समाज और राष्ट्र का भविष्य भी जुड़ा हुआ है. बच्चो के व्यक्तित्व का विकास उनके प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, बच्चों के अधिकार पर निर्भर करता है जहां एक ओर समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकार होते हैं उसी तरह बालकों के भी बाल अधिकार होते हैं

बच्चो के अधिकार क्या है (what are child rights)

बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक/बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल है जो 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किये गये थे तथा जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमती प्रदान की थी.

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गये अधिकारों को चार प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है.

जीने का अधिकार विकास का अधिकार भागीदारी का अधिकार संरक्षण का अधिकार

इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं संरक्षण का अधिकार जिसमें – बच्चें को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है

Scanned by CamScanner

जिसके अन्तर्गत हम आज स्पर्श से संरक्षण के अधिकार विषय पर विस्तार से चर्चा करेगे

हमारी संस्कृति में बाल मन को पवित्र दृष्टि से देता जाता हैं कहंते है बच्चों के दिल में ईश्वर एवं जिह्वा पर सरस्वती का वास होता हैं परन्तु वर्तमान परिस्थियों में यहाँ सर्वत्र असुरक्षा अनुभव हो रही हैं । रक्षक ही भक्षक बन बैठे है। मानवता पशुता में ढ़लती जा रही है। आये दिन बच्चों का सेक्सुअल मोलेस्टेशन, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज यौन शोषण, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की घटनाएँ हो रही है। हर जगह काम पिपासुओं की बुरी नजर बच्चों की मासूमियत को तार – तार करने के लिए घूम रही है । अधिकतर रिसर्च अपने इन नतीजों पर पहुचें कि बाल उत्पीड़न मुख्य रूप से यौन अपराधों के जिम्मेदार हमारे नजदीकी लोग ही होते हैं पड़ोसी, रिश्तेदार,नौकर, ड्राइवर आदि आदि इन मामलों में अधिक लिप्त पाए जाते हैं. इनकी घिनौनी करतूते बच्चें शर्म, डर के कारण अपने माता पिता को नहीं बता पाते हैं. यही कारण हैं कि जहां प्राचीर काल में जिस भारत भूमि पर हर देवता एक बार जन्म लेने के लिए तरसते थे उसी भूमि पर आज देवता तो क्या दैत्य भी आना नहीं पसंद करते ऐसे में अब माता – पिता का कर्तव्य केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने तक नहीं रह गए है बल्कि बच्चों को यौन शिक्षा के साथ – साथ उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी सुरक्षा को लेकर सावधान हो सके क्योंकि बच्चों को यह नहीं मालूम होता है कि उन्हें किस तरह से छुआ जा रहा है और यह वह कारण है जो बच्चों के यौन शोषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते है।

#Good touch bad touch *(अच्छे स्पर्श और खराब स्पर्श) क्या होता हैं*

स्पर्श touch *क्या होता हैं कितने प्रकार का होता हैं :–*

स्पर्श वह अहसास हैं जिसके जरीये हमें अच्छा या बुरा सुखद या दुखद अनुभुति होती है, यह देखमाल, प्यार और मदद दिखाने का एक तरीका है या फिर जो आपको असहजता का अहसास कराता हैं और आप अप्रिय महसूस करते हैं और आप इसे वहाँ और फिर रोकना चाहते हैं । इस प्रकार स्पर्श 2 तरीके का होता हैं अच्छा स्पर्श या बुरा स्पर्श Good Touch Or Bad Touch

Scanned by CamScanner

अच्छा स्पर्श Good touch

- जब कोई हमे गले लगता है और पूछता है ." आप कैसे हो ?" तो ये स्पर्श हमारे लिये अच्छा है
- आप जिसे प्यार करते हैं जो आपको अच्छा लगता है यदि वो आपको गले लगाये और किस करे जो आपको अच्छा लगे वो सेफ टच है।
- अगर आपकी मां आपके सो कर उठने के बाद प्यार और हग करें तो वो सेफ टच है।
- जब आप सोने जा रहे हों और आपके पिता आपको गुड नाइट किस करें तो वो सेफ टच है।
- जब आपके दादा दादी–नाना नानी घर आएं और हग करें ।
- सिर पर कोई प्यार से हाथ फेरे जिसके फेरे जाने से आपको अच्छा लगे।
- अगर कोई शाबाशी देने के लिए प्यार से पीठ थपथपाए ।
- आपसे पूछ कर आपके माथे पर चुंबन करे, हाथ मिलाना ।

बुरा स्पर्श bad touch

- जब कोई मुझे चौट पहुचाता है तब वह बूरा स्पर्श होता है ।
- जिसे मैं नहीं जानता और जिसका स्पर्श (छूना) मुझे पसंद नहीं है । जिसके छुए जाने का अहसास बुरा लगे ।
- कोई आपसे बिना पूछे आपको गले लगाने के लिए जबरदस्ती करे, किस करे उसे बूरा स्पर्श कहते है
- शरीर के जिस अंग को दूसरे सें स्पर्श करावाना मुझे पसंद नहीं है , उसे बूरा स्पर्श कहते है ।
- जब कभी स्पर्श हमे बुरा अहसास देता है जैसे कि, डर, दुख ,प्यार का अहसास या अपनापन नही लगता ।
- हिटिंग, किकिंग, शेकिंग, बाइटिंग, कस कर पकड़ना, वो टच जिसके होने पर अच्छा न लगे। कोई बिना पूछे आपको छूने की कोशिश करे, छूने के लिए जबरदस्ती करे आदि आदि

Scanned by CamScanner

 # अच्छा स्पर्श Good touch शरीर के कुछ अंगों का स्पर्श अच्छा माना गया वो कौन कौन से हैं :–

इन अंगो को छूना अच्छा स्पर्श माना गया हैं जिन्हे छूना मना नही हैं अगर आपको अच्छा लगे

- सर Head
- चेहरा Face
- गर्दन व कंधे Neck and Shoulders
- पेट Stomatch
- पैर Legs

 # बुरा स्पर्श bad touch शरीर के कुछ अंगों का स्पर्श बुरा स्पर्श माना गया वो कौन कौन से हैं :–

इन अंगो को छूना बुरा स्पर्श माना गया हैं जिन्हे छूना मना हैं :– Rule of स्विमिंग कॉस्टयूम

- होठ Lips
- कंधे Solders
- छाति Chest
- पैरो के बीच में Between the Legs
- पीछे का हिस्सा Back Side Hips

बच्वें के शरीर का जो भाग स्विमिंग कॉस्टयूम से ढका होता है वह उन पाट्र्स को किसी को भी छूने न दें।

 # जब कोई बुरा स्पर्श bad touch करे तो क्या करै:–

DNA- TTG

जब बच्चे 3 – 4 साल के हो जाए तो उन्हें समझा सकते है कि उनके शरीर पर केवल उनका ही अधिकार है । अगर किसी के द्वारा उनके शरीर को छूना अच्छा न लगे तो बच्चो को **Danger** खतरे की तीव्रता के बारे में एहसास कराएं कि ऐसी घटनाओं के होने पर क्या हो सकता है और कहे की बच्चे

Scanned by CamScanner

- **Danger** खतरे की तीव्रता को पहचाने ।
- उसका कड़ा विरोध करे जोर–जोर से चिल्लाये उनको जोर से **No** बोले Say Loudly No
- जल्द वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाये Get **Away** Quickly
- तुरन्त अपने माता–पिता या विश्वसनीय व्यक्ति या किसी बडे को जरूर बताये **Tell a Trusted** Adult
- सहायता न मिलने तक कहते रहे Keep **Telling** Untill you Get help
- अगर कोई गलत या अश्लील हरकत करता है तो इसमें स्वयं को दोषी न माने Don't Feel **Guilty**

Good touch bad touch *(अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श) की शिक्षा हेतु माता पिता व अभिभावको के* 10 *दायित्व* DUTIES :–

- माता–पिता की प्रारम्भिक जानकारी दे :– जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करतें हैं तब बहुत छोटे होते हैं उनको अपना नाम, माता – पिता का नाम, घर का पता और एक या दो फोन नंबर जरुर याद करा देना चाहिए ।
- अनजान लोगो से सावधान रहने को कहे :–बच्चो को अनजान लोगो के साथ कही भी जाने या उनके द्वारा कोई चीजे लेने से मना करना सिखाये व बच्चो से कहे कि वे अनजान लोगों से कोई भी उपहार जैसे चॉकलेट, खिलोने या अन्य वस्तु नहीं लें और न ही अनजान लोगो से दूरभाष एवं सोशल मीडिया पर सम्पर्क ना बनायें।
- बच्चे से पूरे दिन की जानकारी लेवे :– जब भी बच्चा स्कूल से घर आये उससे मित्रवत व्यवहार से पूंछे कि बस ड्रावर ने आज तुम्हें कुछ कहा तो नही । जब टॉयलेट जाते हो तो वहाँ तुम्हारें साथ कौन होता है । स्कूल में कोई परेशान तो नहीं करता या स्कूल में कोई परेशानी हो तो मुझे जरुर बताना ।
- आत्मविश्वास जगाये :– उनमें आत्मविश्वास जगाए की कभी भी जब वे सही हैं तो वे अपने आप को दोषी न माने व न ही किसी से डरने की जरुरत है।
- सीक्रेट एलर्ट को शेयर करना बताये :– अगर आप से कोई डरा धमका कर यह बोलता है कि यह हमारे बीच का सीक्रेट है यह बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताना तो बेटा ऐसी बात हमें जरुर बताना क्योंकि मम्मा पापा आपसे बहुत प्यार करते है और इसलिए आप हमसे हर सीक्रेट शेयर कर सकते हो

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

और अगर कोई आपत्तिजनक संदेश, चित्र या विडियो प्राप्त हो तो इसकी जानकारी अपने माता–पिता एवं पुलिस को दें।

- <u>सावधान रहना सिखाये</u> :– यदि कोई अनजान उनसे कहें कि आपके मम्मी – पापा आपको बुला रहे है तो भी उसके साथ नहीं जाना। उनसे खुलकर बात करे । उसके मन को पढने की कोशिश करें क्योंकि बच्चों के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो उनके व्यहार में परिवर्तन देखने को मिलता है ।
- <u>बच्चे में बदलाव को माता पिता समझे</u> :– बच्चे में सामान्य या जटिल बदलाव को गंभीरता से ले ।
- <u>बच्चे से मित्रवत व्यवहार करे</u> :– अगर बच्चे की पढने – लिखने, खेलने – बोलने आदि सामान्य आदतों में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई पड़ें तो उससे मित्रवत तरीके से धैर्य के साथ बात करें । उससे जानने की कोशिश करे कि घर या बाहर उसे कोई परेशानी तो नहीं है । बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार रखे कि वह आप से हर बात शेयर करें । अगर उसने कुछ गलत भी हो जाए तो वह भी बता दे ।
- <u>बच्चे को स्पर्श संबंधि जानकारी दे</u> :– बच्चे को KG से ही गुड स्पर्श और बैड स्पर्श के बारे में aware करें। क्योंकि बच्चो को गोद में लेना उन्हें चूमना आम सी बात है लेकिन कुछ विकृत्त मानसिकता वाले बच्चों की मासूमियत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते है । ऐसे लोगों पर नजर रखे और बच्चों को भी समझाएं कि उन्हें अगर किसी की गोद में जाना अच्छा नहीं लगता तो साफ़ – साफ़ मना कर दें ।
- <u>बच्चे को आप पर भरोसा दिलाये</u> :– बच्चे को यह भरोसा दिलाएं कि जब भी उन्हें किसी का छूना गन्दा लगे तो वह सबसे पहले आपको बताएं । आप उसको बिलकुल भी नहीं डाटेंगे।

 # बच्चो की लैगिक अपराधों संरक्षण हेतु कानूनी उपाय :–

बच्चों को यौन शिक्षा देना एक संवेदनशील विषय है । जितना मुश्किल पेरेंट्स को बच्चो से इस विषय में बात करना है उतना ही मुश्किल बच्चों को इन बातों को समझने में भी है परन्तु समाज में हो रहें बच्चों के साथ यौन अपराध को देखते हुए उन्हें सुरक्षित आज और कल देने के लिए यह एक जरूरी विषय बन गया हैं इस हेतु हमारी सरकार ने भी सन् 2012 में लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 बनाया गया जिसके अन्तर्गत :–

Scanned by CamScanner

अगर 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक अथवा बालिका के साथ किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से अगर कोई लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाता हैं तो वह अपराध हैं जैसे :–

अपराध	दण्ड
बच्चे के निजी अंगों में शरीर का कोई अंग या वस्तु प्रवेशित करना।	न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना
बच्चों के निजी अंगों का छूना या छेडछाड करना या अपने निजी अंगों को बच्चों से छुआना।	3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना
बच्चे को अश्लील फोटो,विडियो दिखाना या अश्लील बातें–इशारे करना या लैंगिक आशय से पीछा करना या अश्लील संदेश भेजना।	3 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना
बच्चे का नग्न अवस्था में फोटो खींचना या विडियो बनाना।	5 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना
अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चों का दुर्व्यापार करना।	न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना
लैंगिक हिंसा की शिकायत दर्ज कराने या दर्ज करने में विफल रहना।	5 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना

लैंगिक दुर्व्यवहार/यौन शोषण (sexual abuse) बालक–बालिका दोनों के साथ हो सकता है, तथा दुर्व्यवहारकर्ता कोई पुरूष या महिला हो सकती है।

लैंगिक दुर्व्यवहार/ यौन शोषण (sexual abuse) में बच्चे की सहमति महत्वहीन है। बच्चे की सहमति से लैंगिक संबंध बनाना भी अपराध है।

Scanned by CamScanner

बच्चो की मदद हेतु सरकारी सहायता :–

बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से बच्चो की मदद के लिये निम्न हैल्पलाईन सेवा निशुल्क 24 घंटे बच्चो की मदद के लिये उपलब्ध है :–

- चाईल्ड लाईन–1098
- पुलिस थाना या पुलिस कट्रोल रूम–100
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर –0141–2709319
- जिला बाल कल्याण समिति
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली – 011–2347820(
- सखी सेन्टर (जिला अस्पताल में स्थापित)

Scanned by CamScanner

Helpline Numbers

All-in-One Emergency

112

Police

100

Ambulance

104

Medical Emergency

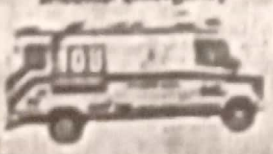

108

1098

Fire Station

101

Women Garima

181

Missing children & women

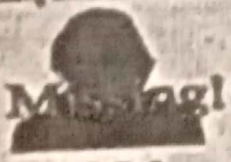

1094

Free Legal Aid

15100

Anti Ragging

1800-180-5522

National Health

1800-180-1104

Senior Citizen

1291

1800-180-1253

Railway Enquiry

139/138

Railways Security

182/1322

Accident Relief

1072/1073

Traffic Police

1095

Scanned by CamScanner